

मांग संख्या 12  
मुख्य शीर्ष 2045

**मद क्रमांक 1**

पर्यवेक्षक एवं तारमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु राशि ` 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 2801**

**मद क्रमांक 2**

मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना हेतु राशि ` 2500.00 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 25,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 3**

सिंचाई हेतु अधोसंरचना विकास के लिए राशि ` 500.00 लाख का व्यय संभावित है  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 5,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 2810**

**मद क्रमांक 4**

राज्य के 05 ऊर्जा उद्यानों-रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कवर्धा एवं राजनांदगांव के  
रख-रखाव हेतु राशि ` 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 4801**

**मद क्रमांक 5 से 6**

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण कंपनियों में राज्य शासन के  
अंशपूँजी धनवेष्ठन के रूप में राशि ` 40000.00 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 4,00,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 41  
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

सिंचाई हेतु अधोसंरचना विकास के लिए राशि ` 380.00 लाख का व्यय संभावित है  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 3,80,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 64  
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

सिंचाई हेतु अधोसंरचना विकास के लिए राशि ` 120.00 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,20,00,000 का प्रावधान किया गया है ।